डॉ. अशोक कुमार तिवारी

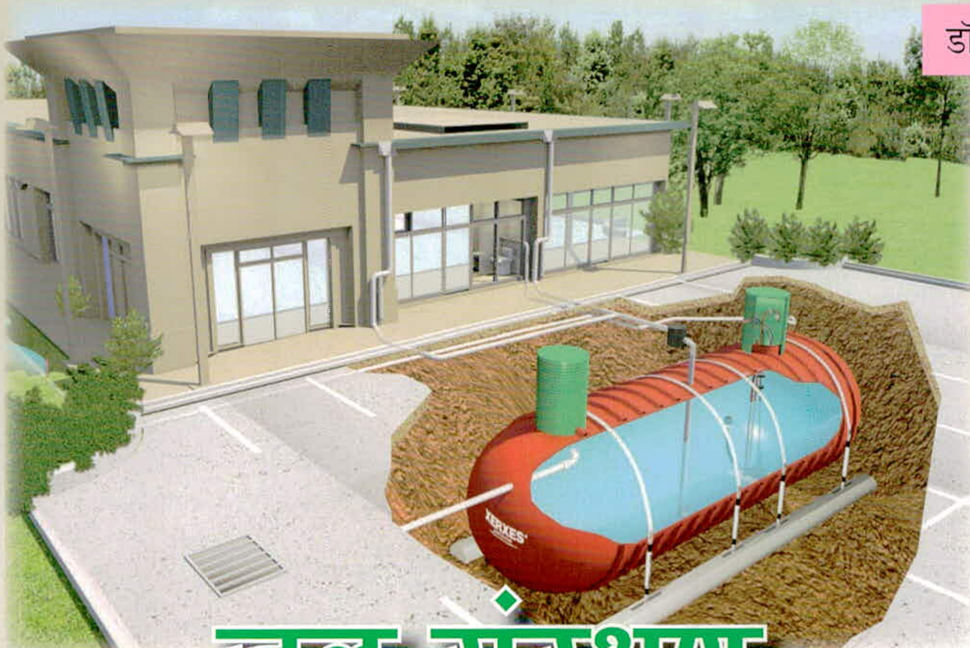

जल संरक्षण हेतु वैज्ञानिक समझ और तकनीकी क्षमता

संयुक्त राष्ट्र संघ की ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक ने जल संकट के लिए वनों की तेजी से होती हुई कटाई को उत्तरदायी ठहराते हुए बताया है कि वनों की कटाई के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह बह जाने के फलस्वरूप कृषि योग्य दस प्रतिशत जमीन बंजर हो जायेगी तथा विश्व की आधे से अधिक आबादी पानी की कमी से प्रभावित होगी। इस रिपोर्ट में यह भी चौकाने वाले तथ्य उजागर किये गये हैं कि तीस साल बाद मध्यपूर्वी देशों में 95 प्रतिशत लोग पेयजल की किल्लत का सामना करेंगे। यही नहीं, भूमिगत जल स्तर के तेजी से कम होने पर परिस्थिति के असंतुलन का खतरा भी मंडराने लगा है। भू-जल की कमी से पृथ्वी की परतों में हवा का दबाव बढ़ जाने से भूकंप की संभावना काफी बढ़ जाती है। आजकल बढ़ते भूकंपों की संख्या इस तथ्य को तर्कसंगत सिद्ध कर रही हैं। इसके अतिरिक्त घटते भू-जल के कारण विभिन्न राज्यों, प्रदेशों व क्षेत्रवासियों के मध्य तनाव, संघर्ष व स्वहित की संकीर्ण भावनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, जिससे मानवीय मूल्यों व संवेदनाओं में गिरावट आती है।

यूं तो हमारे शास्त्रों में वर्णित सभी पांचों महाभूत या पंचतत्व सृष्टि में जीवन के अस्तित्व के लिये आवश्यक हैं पर इनमें भी जल की उपस्थिति जीवन की संभावना का आवश्यक द्योतक मानी जाती है और पृथ्वी के अतिरिक्त ग्रहों-उपग्रहों पर जीवन की संभावना आंकने में वैज्ञानिक जल की उपस्थिति को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। आज यह सर्वमान्य तथ्य है कि पर्याप्त जल की उपलब्धि जीवन के अस्तित्व के लिये और पर्यावरण की गुणवत्ता स्वयं जीवन की गुणवत्ता के लिये अत्यन्त आवश्यक है। अक्सर कहा जाता है कि भविष्य के महायुद्ध जल को लेकर होंगे और सभ्यता के विकास के लिये सबसे बड़ा खतरा पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट से है। बातें तो होती ही रहती हैं, पत्र-पत्रिकाएं और संचार-माध्यम भरे रहते हैं, जल एवं पर्यावरण संरक्षण की चर्चा से, पर समस्या तो घटने के बजाये निरंतर बढ़ती ही जा रही है। मेरा दृढ़ मत है कि इसका कारण उक्त ओर मानव जाति का सुरसा के मुख की तरह बढ़ना सुविधा लोभ और आत्म-नियंत्रण का अभाव है तो दूसरी ओर वैज्ञानिक समझ और तकनीकी क्षमता की कमी। बड़े-बड़े वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा बनाये गये तथा कथित विकास कार्यक्रमों और योजनाओं में भी पर्यावरण की इतनी अनदेखी उनकी वैज्ञानिक समझ और तकनीकी क्षमता की कमी का ही परिचायक है।

मार्च 2000 में पानी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पानी को राजनैतिक अजेंडों में शामिल करने की बात कही गई थी। सम्मेलन के अंत में जारी 'हेग घोषणा' में कहा गया था कि इक्कीसवीं सदी में जल के संदर्भ में सबको सुरक्षा प्रदान करना हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि सुरक्षित और यथेष्ट जल इंसान की बुनियादी जरूरत के साथ स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है।

इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डेविड सेक्सलर के अनुसार भारत में पिछले कुछ वर्षों से प्रति व्यक्ति जितना नया भूजल एकत्र होता है, उसके दोगुने से भी अधिक मात्रा का उपयोग कर लिया जाता है। इस हालात के चलते पूरे देश में भूजल का स्तर प्रतिवर्ष 1 से 3 मीटर की दर से नीचे खिसकता जा रहा है। पश्चिमी गुजरात में किसानों को ट्यूबवेल की

गहराई 1.5 मीटर प्रतिवर्ष बढ़ानी पड़ रही है। सेक्सलर के अनुसार इन किसानों को अगले दशक तक सिंचाई में कटौती करनी पड़ेगी अन्यथा उनके पास पानी का भंडार नहीं होगा।

सितंबर 1998 में प्रकाशित विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जल प्रबंधन के संदर्भ में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है। यहां विभिन्न क्षेत्रों में जल की मांग लगातार बढ़ रही है जबकि संसाधन कम हो रहे हैं।

वर्ष 1987 की राष्ट्रीय जलनीति के अनुसार जल एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता और मूल्यवान राष्ट्रीय संपत्ति है। इसके बाद जल संसाधनों पर संवैधानिक अधिकार केंद्र सरकार का नहीं बल्कि राज्य सरकारों का है और अधिकतर राज्य राष्ट्रीय जलनीति लागू नहीं कर सके हैं।

पानी मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग है। प्रत्येक व्यक्ति को एक न्यूनतम मात्रा में पानी चाहिए ही लेकिन अगर देखा जाए तो यह न्यूनतम स्तर किसी निश्चित मात्रा में निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। एक सर्वेक्षण के अनुसार डेनमार्क (ग्रीनलैण्ड) में 1980 में प्रतिव्यक्ति जल का उपयोग 238 क्यूबिक मीटर था जो 2000 में कम हो करके 198 क्यूबिक मीटर रह गया। इसका यह मतलब तो नहीं है कि वहां के निवासियों ने नहाना या पानी पीना कम कर दिया। इसका कारण यह है कि वहां की जनता को पानी निःशुल्क नहीं मिलता है। इसलिए वे जागरूक हुए, पानी बचाने के नये-नये उपाय खोजे और पानी के उपभोग पर अंकुश लगाया। इसी तरह की कुछ पहल करने की जरूरत हमारे यहां भी है। गांव और शहरों में पानी का मीटर लगाया जाना चाहिए। यह व्यवस्था अमीरों और गरीबों के लिए अलग-अलग होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। अगर आप यह सोचते हो कि पानी का मीटर लगाना या उसकी रीडिंग करना बहुत कठिन कार्य है तो इस भ्रम से बाहर आइये। वर्तमान दौर में जब मोबाइल और टेलीफोन के एक-एक काल की अगल-अलग रीडिंग की जा सकती है तो प्रत्येक घर में भी खर्च होने वाले एक-एक बूंद पानी का हिसाब लगाया जा सकता है। अन्तर इतना ही है कि अगर यह सब कुछ तकनीकी के माध्यम से नहीं हो सकता तो हमें व्यक्तिगत रूप से अपनी सोच के तरीकों में बदलाव लाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार रहें।

यह एक निर्विवाद सत्य है कि पानी एक बुनियादी और अपरिहार्य आवश्यकता है। इसके आगे राजनीति, दर्शन और अध्यात्म सब गौण पड़ जाते हैं। शताब्दियों पूर्व रहीम खान ने इसी तथ्य को इन मार्मिक शब्दों में रेखांकित किया था।

रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।
पानी गए न ऊबरे, मोती मानुष चून।।

ये पंक्तियां न सिर्फ देशवासियों बल्कि समस्त विश्ववासियों पर लागू होती हैं।

हमारे मनीषी कहा करते थे कि पानी, हवा और प्रकाश ईश्वर की देन है। इन पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। भारत में तो पानी पिलाना पुण्य माना जाता रहा है। निर्जला एकादशी, सजला हो उठती है। लेकिन इस नजरिये को नजर लगती जा रही है। उल्टा ऐसा जमाना आने वाला है जब पानी के लिए न सिर्फ लोगों में छीना-झपटी होगी, बल्कि देश-देश में पानी के लेने-देने के लिए नये विवाद उठ खड़े होंगे।

असल में आज सारे विश्व के सामने पानी की विकट समस्या मुंह बाए खड़ी है कुछ क्षेत्रों में तो यह आशंका व्यक्त की गई है कि अगर अब कोई विश्व-युद्ध हुआ तो यह पेट्रोल की आपाधापी के कारण नहीं, बल्कि पानी के अभाव के कारण होगा। पेट्रोल की कमी से मात्र मूल्य ही बढ़ेगें, लेकिन पानी की कमी कहर ढहाएगी। राष्ट्रों के बीच पानी के अभाव से उत्पन्न छटपटाहट कभी भी हिंसक रूप ले सकती है। हमारे मनीषी कहा करते थे कि पानी, हवा और प्रकाश ईश्वर की देन है। इन पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। भारत में तो पानी पिलाना पुण्य माना जाता रहा है। निर्जला एकादशी, सजला हो उठती है। लेकिन इस नजरिये को नजर लगती जा रही है। उल्टा ऐसा जमाना आने वाला है जब पानी के लिए न सिर्फ लोगों में छीना-झपटी होगी, बल्कि देश-देश में पानी के लेने-देने के लिए नये विवाद उठ खड़े होंगे। वह दिन दूर नहीं जब पानी के स्रोतों और जलमार्गों पर कब्जे के लिए देश एक-दूसरे के खिलाफ उठ खड़े होंगे।

स्वीडन में आयोजित जल सम्मेलन में इस तथ्य को चिंताजनक

बताया गया है कि एशिया महाद्वीप के किसानों ने कुओं के माध्यम से जल निष्कासित करके इस महाद्वीप के भूमिगत जल संसाधन को प्रायः समाप्त कर दिया है। जिससे आने वाले दशकों में अकाल पड़ने की संभावना काफी बढ़ गई है। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपने अध्ययन में यह संकेत दिया है कि भारत में गुजरात के मेहसाणा और तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिलों में भू-जल स्रोत स्थायी तौर पर सूख चुके हैं। ऐसा भी अनुमान लगाया गया है कि इन राज्यों के 95 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर तेजी से घट रहा है, परिणामतः डार्क जोन एरिया में वृद्धि होती जा रही है। आज देश के 50 प्रतिशत जिले पानी की दृष्टि से सूखे क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल हैं। यही नहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र व पंजाब में भी भू-जल स्तर 40 प्रतिशत तक नीचे तक चला गया है जिससे इन प्रदेशों के भूखंड रेगिस्तान में तब्दील होते जा रहे हैं। भू-जल के अति दोहन से राजस्थान की राजधानी जयपुर के रामगढ़ बांध तथा मावड़ा में तो धरती तक फटने लगी है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जयपुर में आने वाले पांच दस वर्षों में तथा सम्पूर्ण राजस्थान में 2025 के बाद भू-जल भंडार खत्म हो जायेंगे। इस चेतावनी का मुकाबला करने के लिए अभी से वैकल्पिक उपायों की खोज करते हुए ठोस व रचनात्मक कार्यनीति बनाने व क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

शहर में मीटर के हिसाब से देना होगा पानी का बिल

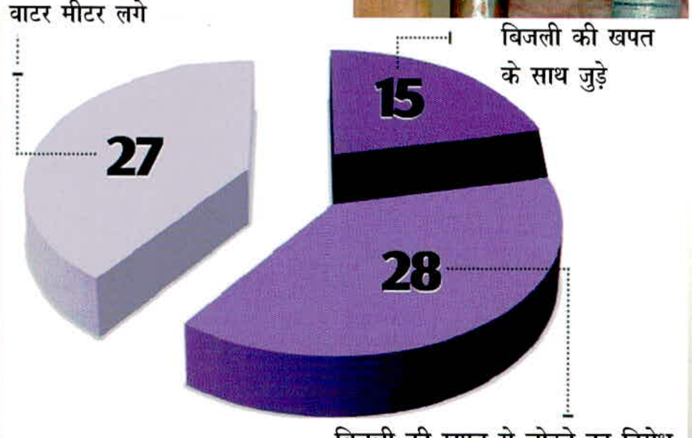

संयुक्त राष्ट्र संघ की ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक ने जल संकट के लिए वनों की तेजी से होती हुई कटाई को उत्तरदायी ठहराते हुए बताया है कि वनों की कटाई के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह बह जाने के फलस्वरूप कृषि योग्य दस प्रतिशत जमीन बंजर हो जायेगी तथा विश्व की आधे से अधिक आबादी पानी की कमी से प्रभावित होगी। इस रिपोर्ट में यह भी चौकाने वाले तथ्य उजागर किये गये हैं कि तीस साल बाद मध्यपूर्वी देशों में 95 प्रतिशत लोग पेयजल की किल्लत का सामना करेंगे। यही नहीं, भूमिगत जल स्तर के तेजी से कम होने पर परिस्थिति के असंतुलन का खतरा भी मंडराने लगा है। भू-जल की कमी से पृथ्वी की परतों में हवा का दबाव बढ़ जाने से भूकंप की संभावना काफी बढ़ जाती है। आजकल बढ़ते भूकंपों की संख्या इस तथ्य को तर्कसंगत सिद्ध कर रही हैं। इसके अतिरिक्त घटते भू-जल के कारण विभिन्न राज्यों, प्रदेशों व क्षेत्रवासियों के मध्य तनाव, संघर्ष व स्वहित की संकीर्ण भावनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, जिससे मानवीय मूल्यों व संवेदनाओं में गिरावट आती है। बढ़ते जल संकट से न केवल कृषि क्षेत्र के विकास में गिरावट आ रही है अपितु यह हमारे देश के सीमित संसाधनों पर भी बोझ है। सरकार को अन्य विकास मदों में कटौती करके जल प्रबंधन पर करोड़ों रूपये खर्च करने पड़ते हैं जिससे आर्थिक विकास प्रक्रिया पर कुठाराघात होता है। जल संकट से विद्युत उत्पादन, उद्योग व सेवा क्षेत्र सभी की विकास प्रक्रियाएं ठप्प हो जाती हैं।

अप्रैल, 1992 में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ के पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया ताकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्षेत्रीय आधार पर सहमति हो सके। इन सम्मेलनों में हुए विचारों के आदान-प्रदान के फलस्वरूप उत्पन्न सहमति के आधार पर भारत चाहता है कि निम्नलिखित मूल सिद्धान्तों के अनुरूप विश्वव्यापी कार्रवाई की जानी चाहिए-

1. पर्यावरण संरक्षण को विकास की सामान्य समस्याओं से अलग नहीं किया जा सकता। पर्यावरण संरक्षण विकास

प्रक्रिया का अभिन्न अंग समझा जाना चाहिए। विश्व के समस्त राष्ट्रों को मिल-जुलकर विकासशील राष्ट्रों की विकास संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का प्रयास करना चाहिए।

2. निर्धनता, अविकास और पर्यावरण प्रदूषण के कुचक्रों को तोड़ने के लिए डटकर मुकाबला करना जरूरी है।

3. विकासशील देशों में इस समय संरक्षणवाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ऋण भार बढ़ता जा रहा है, व्यापार की शर्तें बिगड़ती जा रही हैं और वित्तीय संसाधनों का प्रवाह विपरीत दिशा में हो रहा है। इसलिए ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण पैदा करना चाहिए जिससे विकासशील देशों में विशेष रूप से आर्थिक प्रगति और विकास की प्रक्रिया को समर्थन मिल सके।

4. राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्येक राष्ट्र का सम्पूर्ण अधिकार है।

5. सतत् विकास के लिए रणनीति तैयार करने के मामलों पर राष्ट्रीय सरकारों द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा इन प्रयासों का समर्थन किया जाना चाहिए न कि अवरोध पैदा किए जाएं।

6. आर्थिक विकास सम्बन्धी नीति और कार्यक्रमों में पर्यावरणीय समस्याओं को शामिल किया जाना चाहिए और उसके लिए दी जाने वाली सहायता के साथ कोई शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए तथा पर्यावरण संरक्षण के नाम पर किसी प्रकार का व्यापारिक प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाय।

7. पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। विकसित राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की तुलना में अपने हिस्से से कहीं ज्यादा संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। यह असन्तुलन समाप्त होना चाहिए और विकासशील राष्ट्रों की वहन क्षमता के अनुसार उन्हें संसाधनों में बराबरी का हिस्सा देने के उपाय किए जाने चाहिए ताकि उनका पर्याप्त विकास हो सके।

8. मुख्यतः विकसित राष्ट्र प्रदूषण फैला रहे हैं जिनमें प्रदूषणकारी तत्वों के अलावा खतरनाक और विषालु अपशिष्ट भी हैं। अतः पर्यावरण सुधार के लिए आवश्यक उपाय करने का प्रमुख दायित्व भी इन्हीं राष्ट्रों का है।

जल संकट की समस्या भविष्य में विकराल रूप धारण कर लेंगी। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए हमें इस समस्या का निराकरण करने हेतु अभी से सतत व प्रभावी प्रयास करने होंगे। मनुष्य सोना, चांदी व पैट्रोलियम के

बिना जीवन जी सकता है किंतु पानी के बिना जीवन असंभव है, इसलिए यह समय की मांग है कि जल का उपयोग विवेकपूर्ण, संतुलित व नियमित ढंग से हो। इस सर्वव्यापी समस्या के निदान हेतु हमें निम्न बिंदुओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगाः-

◆ जल संरक्षण व बचत का संस्कार समाज में हर व्यक्ति को बचपन से ही दिया जाना चाहिए।

◆ भूमिगत जल के अविवेकपूर्ण व अनियंत्रित दोहन व नलकूपों के गहरीकरण पर प्रभावी रोक लगानी चाहिए। नये ट्यूबवैलों की खुदाई करने से पूर्व सरकार से अनुमति अवश्य ली जानी चाहिए।

◆ भू-जल के संवर्धन व संरक्षण हेतु सुव्यवस्थित वर्षा जल-संचयन प्रणाली विकसित की जाये। वर्षा जल के संग्रहण हेतु घर व स्कूलों में ही टांके, कुंड व भू-गर्भ टैंक वगैरह निर्मित करने की नीति क्रियान्वित की जाये। परम्परागत जल स्रोत कुएं, बावड़ी, तालाब, जोहड़ आदि की तलहटी में जमे गाद को निकलवाने के कार्य को प्राथमिकता दी जाये व साथ ही इनके पुनरूद्धार की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जाये ताकि ये मृतप्रायः जल स्रोत पुनर्जीवित होकर वर्षा के जल को संग्रहित व संरक्षित कर सके।

◆ जल प्रबंधन, जल संरक्षण व जल की बचत आदि कार्यक्रमों को जन जागरण व जन आंदोलन के रूप में चलाया जाए। गैर सरकारी संगठनों, स्कूलों व महाविद्यालयों आदि को भी विचार गोष्ठी, सेमीनार व रैलियों के माध्यम से जल संरक्षण चेतना जागृत करनी चाहिए। ताकि जल का अनुकूलतम उपयोग संभव हो सके। वनों की कटाई को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किये जाने चाहिए व साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने हेतु कठोर कदम उठाने चाहिए।

◆ घरों में विद्युत मीटर की भांति जल मीटर लगाया जाए ताकि जल उपयोग की मात्रा के अनुरूप ही शुल्क निर्धारित किये जा सके।

◆ आज कृषि क्षेत्र जल का सर्वाधिक उपयोग करता है इसलिए यह आवश्यक है कि कृषि में पानी के अनुकूलतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ड्रिप व स्प्रिंक्लर सिंचाई व्यवस्था व वैज्ञानिक कृषि सिंचाई प्रणाली को प्रेरित किया जाए।

◆ भारत में अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं जल प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य संपादित कर रही हैं। औरंगाबाद जिले

में श्री अन्ना हजारे, हिमालय क्षेत्र के श्री सुन्दरलाल बहुगुणा, राजस्थान में श्री राजेन्द्र सिंह तथा मध्य प्रदेश चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्थान के संस्थापक परम श्रद्धेय नाना जी देशमुख ने अपने अथक प्रयासों से यह सिद्ध कर दिया है कि जल संकट का निवारण जल सहयोग से आसानी से किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में खेत का पानी खेत में रोकने की संरचना का विकास करके खेती के लिए जल की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था का अनुसरण करके अन्य राज्य जल संकट की समस्या से कुछ हद तक निजात पा सकते हैं।

जल संरक्षण की समस्या वैयक्तिक नहीं है। यह समस्या वैश्विक है। अगर समय रहते हम जागरूक नहीं हुए तो निश्चित ही आने वाले दिनों में तस्वीर भयानक होगी। रहीम खान जी ने कहा है कि 'रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून' यह उक्ति किताबों की पंक्तियां मात्र नहीं बल्कि लगभग 400 वर्ष पूर्व जल संरक्षण के संबंध में दी गयी चेतावनी है। इसकी प्रासंगिकता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमें किसी न किसी तरह से जल का संरक्षण करना है वह चाहे वैयक्तिक हो या सामूहिक हो। पानी की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और ऐसे में अगर हम पानी को बचाएंगे नहीं तो जीवन जीना दुर्लभ हो जाएगा। जरा सोचिए पानी के बिना कैसा होगा जीवन? क्या सभव है? अगर नहीं तो हमें इसका संरक्षण करना ही होगा। जगह-जगह पर वाटरशेड कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए जिससे गांव का पानी गांव में ही रहे।

जल संकट की समस्या भविष्य में विकराल रूप धारण कर लेगी। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए हमें इस समस्या का निराकरण करने हेतु अभी से सतत व प्रभावी प्रयास करने होंगे। मनुष्य सोना, चांदी व पैट्रोलियम के बिना जीवन जी सकता है किंतु पानी के बिना जीवन असंभव है, इसलिए यह समय की मांग है कि जल का उपयोग विवेकपूर्ण, संतुलित व नियमित ढंग से हो।

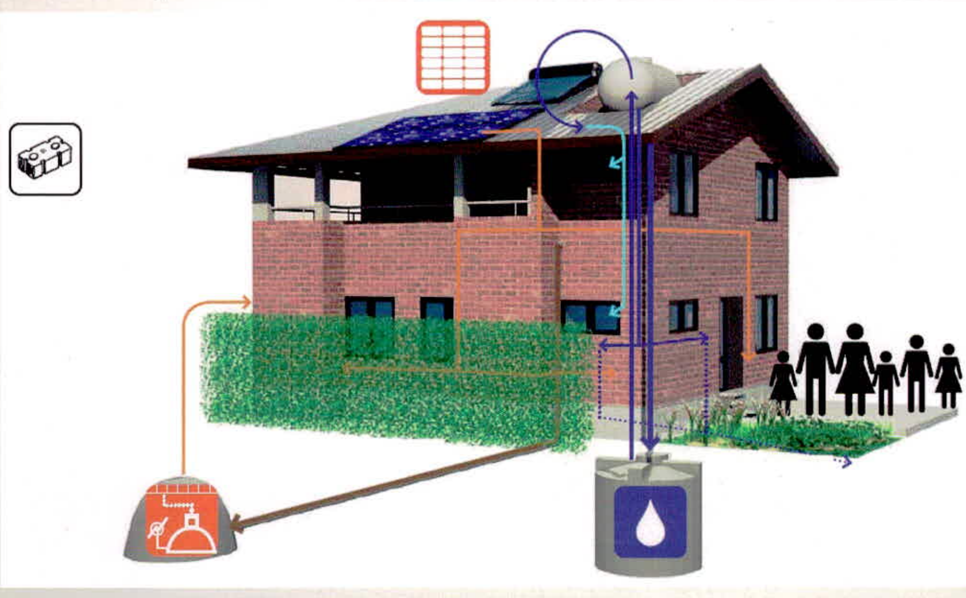

जल संचयन के लिए हमें नदियों पर बांध बनाकर और नलकूप आदि द्वारा वर्षा का जल संचयित किया जा सकता है। कई राज्यों में यह योजना सफल रही है जैसे-राजस्थान अतः गिरते जल स्तर को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण उपाय जल संचयन ही है। हमें वर्षा का जल, अपनी छतों और आस-पास के गड्ढों में पानी को भी बचाना चाहिए। एक अनुमान के अनुसार 50 वर्ग मी. आकार की छत से एक वर्ष में लगभग 33 हजार लीटर पानी एकत्र किया जा सकता है। इस जल से 2 सदस्यों को पेय जल और घरेलू आवश्यकता हेतु जल लगभग 3 माह तक उपलब्ध हो सकता है। देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से जल स्तर में वृद्धि से ऊर्जा की भी बचत होती है। जल बचत हम लोग भी सदुपयोग के माध्यम से कर सकते हैं।

जल प्रबंधन पर यूनेस्को रिपोर्ट-

यूनेस्को ने मार्च 2006 में प्रकाशित रिपोर्ट में प्रबंधन संबंधी विभिन्न मुद्दों को शामिल किया है। रिपोर्ट ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं।

1. जल की कमी, जल की कमी के कारण नहीं बल्कि अपर्याप्त आपूर्ति के कारण।
2. जल समस्या का समाधान बेहतर साधन में निहित।
3. जल समस्याओं और चुनौतियों पर समग्र रूप से ध्यान दिया जाए।
4. जल संबंधी आंकड़े विश्वसनीय होने चाहिए।
5. जल क्षेत्र में और अधिक निवेश की जरूरत है।
6. अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत है।
7. सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।

आज विश्व में तेल के लिए युद्ध हो रहा है, भविष्य में जल के लिए युद्ध नहीं हो, इसके लिए हमें अभी से सजग, सतर्क व जागरूक रहते हुए जल संरक्षण व प्रबंधन की प्रभावी नीति बनाकर उसे क्रियान्वित करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन-शैली व प्राथमिकताएं इस प्रकार निर्धारित करनी होगीं ताकि अमृत रूपी जल की एक भी बूंद व्यर्थ ना हो।

संपर्क करें:
डॉ. अशोक कुमार तिवारी
पर्यावरणीय वैज्ञानिक,
आयुर्वेद सदन, आरोग्यधाम,
दीनदयाल शोध संस्थान, चित्रकूट
जिला-सतना (म.प्र.) 485331